Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 12-05-2006

Participants : Jai Parkash Shri ,Saradgi Shri Iqbal Ahmed,Singh Kunwar Manvendra,Rawat Prof. Rasa Singh,Singh Kunwar Manvendra,Singh Dr. Raghuvansh Prasad,Kumar Shri Shailendra,Patil Shri Balasaheb Vikhe

an>

Title : Motion for consideration of the Crop Insurance Bill, 2005.

SHRI IQBAL AHMED SARADGI (GULBARGA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to provide for insurance of crops and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Sir, I had introduced this Bill in March, 2005. The object of introducing this Bill is that the farmers always suffer heavily due to floods, cyclones, droughts, rains etc.

16.09 hrs. (Shri Mohan Singh *in the Chair*)

Sometimes, the farmers suffer because of heavy rains, sometimes because of no rains, sometimes because of cyclones and sometimes because of the droughts. Sometimes, the farmers are being victimised because of the policy of globalisation and sometimes, they are being victimised because of the fluctuation of rates of their produce in the market because they are not being given the support prices.

Moreover, many a time the farmers are the victims of the weather also. I am saying this because weather plays a very important role in the crop loss or crop damage, etc. Therefore, the object for my introducing this Bill is because of the frequent loss of crops suffered by the farmers. This has rendered them helpless, and has even forced them to commit suicide in many of the States. This is not a matter, which is being discussed for the first time as it has been taken up in this august House and in the Assemblies many times. It has also been discussed in other forums, and through other media. As a result of loss of crop, the farmers are not in a position to repay the loans taken from the moneylenders. Therefore, weather plays a very important role in addition to other reasons.

I do not think that there is any mechanism to settle the claims. The claims are being settled on the basis of rainfall. Furthermore, as a result of uncertainty in weather, nearly 70 per cent of the crop production in India is subject to the timely arrival of monsoon.

Crop insurance has been given through many public sector insurance companies for decades now. However, the farmers were unable to make the best use of these schemes. Though many schemes have been introduced, yet benefits and results in the interest of the farmers were not worked out in it. The results were not satisfactory for it as there was not enough data to verify the settled claims efficiently. One of the reasons for it is that the public sector insurance companies look at crop insurance as a liability, and not as a business opportunity. Therefore, many of the crop insurance companies feel that this is a liability, and they are not coming forward to help the farmers when we compare with other insurance sectors. This is basically as a result of their feeling it as a liability. They feel that there is a risk to the insurance companies rather than to the farmers. This is the viewpoint being made for the last couple of decades.

In the State of Karnataka, the claim petitions are being settled based on the average rainfall of the last five years, and the average yield of the crop is calculated by taking *panchayat* as the unit. Therefore, assessing and coming to a conclusion for assessing the crop loss will take nearly two years or three years. Meanwhile, the farmers are not helped in time, and the losses are also not compensated in time neither by the insurance companies nor by the State Government or any other agencies. This is the problem being faced by the farmers as a result of the uncertainty of weather in our country.

I would like to suggest that there should be some comprehensive policy or some mechanism, and the loss or risk to the farmers should be decided on the basis of the rainfall. If there is a shortfall in rainfall, then records are available with the Department to know the amount of shortfall of rainfall in a particular area. I would like to suggest that shortfall in rainfall or heavy rainfall should be made the basis for settling the claims of the petitioners in time instead of having a lengthy process to decide on it by connecting many factors involved. This would allow the farmers to be helped in time.

Though there is a policy in Karnataka, the innocent farmers are not enrolling themselves for claiming the insurance amount. What I would like to suggest is that the insurance process should be taken up by the State Government through the Cooperative Department or whatever is the Department concerned because the farmers are innocent people. Eighty per cent of our population consists of farmers, and they are illiterates. Even though benefits are there to claim, that is, the insurance benefit for crop losses or the risk involved, they are not aware of the schemes, and they are not aware of the procedure laid down by the State Government or the insurance companies. They are not enrolling themselves for claiming the insurance amount, whenever there were crop losses. Therefore, I would like to suggest that the State Government or the Central Government should have a mechanism to enroll the farmers and to enable them to claim the insurance amount, whenever the crops in their respective areas suffer losses.

The second point is, our hon. Minister of Agriculture, who is a champion of the farmers or the agriculturists, while announcing the formulation of a new agricultural insurance scheme said in Parliament:

> "This new Scheme is neither first of its kind nor will it be the last. More than half-a-dozen farm insurance schemes have been tried out in the past two-and-a-half decades, but not one has worked."

This is an admitted fact or what was expressed by our hon. Minister of Agriculture while announcing the formulation of the new agricultural insurance scheme.

> "Though many insurance policies have been introduced or announced, not a single insurance policy has worked out successfully in the larger interest of the farmers. So, unsuccessive insurance models proved to be unsustainable because they were neither economically viable nor suited to cover the vagaries that beset the crops of the farmers.
>
> The implementing insurance companies have invariably ended up paying compensation several times the premium collected. The existing national agricultural insurance scheme, which is now sought to be replaced with a fresh look, has had to cope with claims of over Rs. 5,730 crore, more than three times the premium income of Rs. 1,700 crore."

The insurance companies or the agencies are considering it as risky because there is no balance between the premium amount and the compensation to be paid. Therefore, the parallel form of income insurance scheme aimed at covering the risk ranging from a drop in yield to poor prices tried out on a pilot basis in respect of a few crops has also not worked out. This is why the insurance companies feel that insurance business in farming sector is very risky, as far as the insurance companies are concerned. They think that it is a liability, and they are not taking it as

business, which is not the case in respect of other fields. Therefore, what is required to be done is to make the insurance companies or the public undertaking concerned to come to the help of the farmers, whenever there is a risk involved.

Sometimes, excess crop is also a problem because then the State Government, the cooperative sector, or the Central Government do not come to their help by fixing the minimum support price. Thus, lesser crop yield or excess crop yield is also a problem being faced by the farmers. In such cases, there should be a comprehensive mechanism whereby farmers would get insurance.

My intention behind moving this Bill is to safeguard the interests of farmers. Globalisation has affected the lives of farmers to a great extent. The old methods of cultivation by farmers in the country would result in increased cost of production when compared to the practices followed in other countries. Cost of production is very less in other countries while it is very high in our country. When they come with their crops into our markets, nobody would come forward to help our farmers with supporting prices. This is the problem faced by the rural farmers.

I would request the Government to pay serious attention to the problems being faced by farmers of the country. The Government should formulate a clear-cut and transparent policy in this regard in consultation with the State Governments, the public insurance companies, and the concerned authorities so that we can have a comprehensive scheme for insurance of crops in order to support our farmers.

I would like to suggest that many of the schemes have not worked successfully in our country while similar schemes have been successfully implemented in some other countries. We must find out the factors because of which crop insurance schemes have been successfully implemented in other countries and our existing policy has to be modified keeping in view the experience of those countries. This is the need of the hour. Methods adopted in other countries for successful implementation of agricultural insurance schemes should be taken into consideration to suitably modify our present policy and to incorporate such provision in our insurance policies.

The Government had appointed a Joint Group to look into the past experience and to suggest improvements to be incorporated in the new insurance policy. Moreover, it has also proposed to cover pre-sowing risk and post-harvest losses also. As I have already said, agriculture in the country depends largely on the arrival of monsoon. There is a time gap between pre-sowing and post-harvest periods. In that two-three month period, Government should have some system to assess the losses and the risk of farmers. If that is done, calculation can be made in time and some insurance money can be meted out to farmers by way of some other policy.

My aim to introduce this Bill is to see that farmer should be provided permanent measures to meet the situation when his crop fails. That is why I have mentioned in clause 3 of the proposed Bill that: "The Central Government shall formulate a scheme providing for insurance of crops and excess of crops throughout the country."

In clause of the Bill, I have proposed that the premium in respect of the insurance shall be borne by the Central Government and the State Government in such proportions as may be prescribed.

In clause 6, I have proposed that it shall be the duty of the Central Government to pay insurance amount to the farmers for the loss of crop suffered by them due to any natural calamities or excessive crops where the return is less.

In clause 7, I have proposed that the insurance amount shall be paid within two months after the full assessment of loss suffered by the farmers is made by a Committee of Experts to be constituted by the Central Government.

The claims are lying unsettled for years together, and they cannot be settled within two-three months. It will take one year to get settled. So, I have proposed two-three clauses to settle the claims in time.

This is a very important matter pertaining to the farmers. Therefore, I bring forth the attention of the hon. Members of this august House to make valuable suggestions in this regard to help the farmers whenever they meet the natural calamities, viz., floods, cyclones, etc. So, concrete suggestions should be made, and I would again request the august House to make sure that valuable and concrete suggestions are made to this Bill.

श्री जय प्रकाश (हिसार) : सभापति महोदय, श्री इकबाल अहमद सरडगी साहब जो बिल लेकर आये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बात सही है कि हिंदुस्तान एक कृि प्रधान देश है लेकिन पिछले कई वार्ों से कोई भी सरकार आई हो, पिछली एनडीए सरकार ने इस देश के किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू कर दी क्योंकि किसानों की फसल प्रकृति पर निर्भर करती है। यहां कभी बाढ़, कभी सुखाड़ और कभी ओलावृिट हो जाती है। माननीय कृि मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले सर्दी के दिनों में पाला पड़ गया जिसके कारण सब्जियां और खासकर के टमाटर की फसल की काफी हानि हुई और फलों में कीनू, माल्टा पूरी तरह से बर्बाद हो गया तथा सरसों की फसल पर पाले का भारी असर पड़ा। भारत की आजादी के इतने दिनों के बाद भी आज चाहे जनता हो, देश के और लोग हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, सभी कहते हैं कि भारत कृि प्रधान देश है लेकिन इसे प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं किया गया है। ज्यादा धुंध पड़ जाए या ज्यादा टैम्प्रेचर हो जाए तो किसान को सरकार कुछ नहीं देती है।

फसल बीमा योजना के लिए यहां बिल आया है। अगर टैम्प्रेचर डाउन हो जाता है और फसल बर्बाद हो जाती है तो उसे भी प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए, यह मेरा आपसे निवेदन है। ज्यादा तापमान के कारण अगर फसल खराब हो गयी तो वह भी तो प्राकृतिक आपदा में आ गया। इसलिए फसल बीमा योजना जो एनडीए की सरकार ने लागू की उसे सभी प्रकार की फसलों के लिए लागू किया जाना चाहिए, चाहे उसमें धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो या कपास हो। आजकल सारी फसलों में कीड़ा लग जाता है। आज कोई भी सब्जी ऐंसी नहीं है जिस पर कीटनाशकों का प्र ायोग न होता हो। ब्लॉस्ट नाम की बीमारी बासमती चावल में आती है, उसे भी इसमें शामिल किया जाए। जब केन्द्र सरकार फसल बीमा योजना लागू कर रही है तो यह क्यों हो कि कुछ फसलों को ला दिया जाए और कुछ को नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान जो भी फसल पैदा करता है उसे इसमें शामिल किया जाए। हम सभी जानते हैं कि फसल बीमा योजना लागू करने के लिए बहुत लम्बी प्रक्रिया है। पिछले दिनों बाढ़ आ गयी और आप जानते हैं कि पटवारी से गिरदावरी कराने में काफी समय लगता है।

इस कारण कहा गया कि इसे बाद में देखेंगे। इस सबमें काफी समय खराब हो जाता है। आज देश के किसान के लिए खेती घाटे का सौदा हो गया है और इसी वजह से किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज सारा सदन इस बात से चिंतित है कि क्यों हमारा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। इस बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि किसान आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि खेती घाटे का सौदा बन गई है, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा हैं और इनके साथ-साथ खेती में लगने वाली बीमारियां भी ज्यादा हो गई है। इसके बाद अगर किसान को मुआवजे के तौर पर बीमा न मिले, पैसे न मिलें और किसान ने जो ऋण बैंकों से लिया है, साहूकारों से लिया है, उसे न चुकाने की वजह से वह अपमानित महसूस करता है और अपने परिवार का निर्वाह नहीं कर पाता, इसी कारण आज देश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना के अंदर तत्काल 15 दिनों के अंदर, जहां फसल खराब हो जाए, किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत सी ऐसी कम्पनियां पब्लिक सैक्टर में आई हैं। मुआवजे में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी फसल हो, हर फसल पर बीमा योजना लागू होनी चाहिए।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि यह बिल महत्वपूर्ण है और यहां जो सुझाव आए हैं, वे बहुत ही रचनात्मक सुझाव हैं, इन सुझावों के बारे में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा पहले कर दिया गया है। मैंने बिलकुल नए तरह के सुझाव दिए हैं, जो इसमें पहले शामिल नहीं हुए। पहले सरसों, टमाटर की फसल खराब हो गई थी। इसी तरह से माल्टा और कीनू के खेत के खेत बरबाद हो गए। उस वक्त कहा गया कि यह फसल बीमा में शामिल नहीं है, या तापमान गिर गया इसलिए फसल बरबाद हो गई। मेरा निवेदन है कि इसे भी प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाए और किसान को फसल बीमा योजना में 15 दिन या एक महीने के अंदर मुआवजा दिया जाए और इसका सारा खर्च सरकार दे, जैसे हरियाणा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार गेहूं निकालने वाली मशीन से किसानों के हाथ कट जाते हैं, 16 साल से 60 साल

तक का कोई बूढ़ा आदमी अगर दुर्घटना से मरेगा तो उसका मुआवजा सरकार देगी और उनका बीमा करवा दिया। इसी प्रकार से जितनी भी फसलें हैं उनके मुआवजे के लिए किसानों को जल्दी से जल्दी बीमा राशि देने का प्रावधान किया जाए।

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने 60 वर्ा के व्यक्ति को बूढ़े आदमियों में शामिल कर दिया है।

सभापति महोदय : कुछ मामलों में यह स्वीकार्य है। साठ साल के व्यक्ति को वरिठ नागरिक मान लिया जाता है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि मैं पहली बार आपको सभापति की सीट पर देख रहा हूं। आपने मुझे फसल बीमा विधेयक वर्ा, 2005 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्री इकबाल अहमद सरडगी जी ने जो ि वधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अभी जैसे अनेक सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, यह बात सत्य है कि भारत कृाि प्रधान देश है। भारत की आर्थिक विकास की व्यवस्था कृाि पर ही निर्भर करती है। जब-जब इस सदन में चर्चा हुई है और खासकर किसान भाइयों के ऊपर और कृाि को लेकर चर्चा हुई है, जहां तक फसल बीमा की बात है इसका सीधा संबंध मौसम से है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि जैसा कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा कि पूरे साल में कई फसलें होती हैं, कई सब्जियां होती हैं, फल भी होते हैं और तमाम छोटे या बड़े पौधे, उनमें कई तरह के रोग भी लग जाते हैं और मौसम के थपेड़े उन पर पड़ते हैं, जैसे गर्मी के मौसम में सूखा पड़ जाता है या बरसात के मौसम में देखा जाता है कि बाढ़ आ गई और फसल नट हो गई।

इसी प्रकार जाड़े में कभी-कभी जब ओले गिरते हैं तो ज्यादातर फसलों को नुकसान पहुंचता है। मौसम को देखकर समय पर किसानों को बीमे की राशि मिल जाए तो मेरे ख्याल से वे अगली फसल के लिए तैयारी कर सकेंगे और अपने परिवार का भरण-पोाण कर सकेंगे।

समय-समय पर देखा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय, चाहे बाढ़, सूखा, पाला या ओले गिरें, उनसे अक्सर तमाम तरह के रोग अनाज, सब्जियों और फलों में लग जाते हैं। इसे लेकर हमारे एक सम्मानित सदस्य ने चिन्ता भी जतायी है। किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान की जितनी लागत लगे, उसे देखते हुए वाजिब बीमे की राशि किसान को मिले ताकि वह अगली फसल के लिए तैयारी कर सके और अपने परिवार का जीवन-यापन कर सके।

जैसा अभी जयप्रकाश जी ने बताया, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी प्रकार से दैवी आपदा या प्रकोप के समय नुकसान होने या मृत्यु होने पर एक लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की व्यवस्था की है। उसी प्रकार की केन्द्र सरकार को भी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि प्रदेश सरकारें एक लाख रुपए दे रही हैं तो केन्द्र सरकार को भी बढ़-चढ़ कर सहायता करनी चाहिए। वह कम से कम अगर बराबर की राशि देगी तो इस तरह उसे दो लाख रुपए मिल जाएंगे। इससे उस परिवार को काफी राहत मिल सकती है।

अक्सर देखा गया है और यह कहा जाता है, हम बहुत पहले से सुनते आए हैं कि फसल बीमा के नाम से किसानों को राहत दी जाएगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। यही कारण है कि आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वह चाहे ऋण लेकर खेती करे, या किसी तरह उसकी फसल को नुकसान हो, तो उसकी भरपाई कहीं नहीं होती है। उसे इतनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं कि वह बेचारा दौड़ते-दौड़ते थक जाता है। जहां उसका पैसा और समय बरबाद हो जाता है, वहीं उसे बीमे की राशि भी नहीं मिलती है। फसल बीमा में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसे आसानी से राशि मिल जाए। इस प्रक्रिया का सरलीकरण भी होना चाहिए। किसान को आसानी से और समय पर राशि मिल जाए, ताकि वह अच्छी तरह से अगली फसल के लिए व्यवस्था कर सके।

इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि किसानों के लिए कम से कम पानी, बिजली, कृाि उपकरण और कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। वह चाहे ब्लॉक स्तर पर हो या पंचायत स्तर पर हो लेकिन यह व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसान कम लागत में अच्छी से अच्छी फसल का उत्पादन कर सकें। इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव) : सभापति महोदय, हमारे साथी ने जो बिल यहां रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि आज किसानों की हालत बहुत गम्भीर है। फसल बीमा पुरानी बात है। आज भी 57 परसेंट किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में पता नहीं है। कृाि आयोग ने एक बार एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उसमें विभिन्न बातें लिखी थीं। 10 परसेंट लोगो ने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन 4 परसेंट किसानों को ही उसका लाभ हुआ। जाहिर बात है कि इसमें काफी सुधार की जरूरत है। क्रॉप इंश्योरेंस में

रिस्क भी कवर होना चाहिए। आज जो मार्किट में फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसे भी देखा जाए। किसी चीज का ज्यादा उत्पादन होने पर उनके दाम कम हो जाते हैं। जैसे टमाटर और प्याज की उपज को देखें। आप कहते थे कि तेल के मामले में हमें आत्मनिर्भर होना है लेकिन उसका आयात हो रहा है। इसके अलावा कपास का आयात हो रहा है। आज भी हम 60 परसेंट से ज्यादा तेल विदेशों से मंगाते हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। उनको उपज के उचित दाम नहीं मिलते हैं। 127 परसेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जबकि रियलाइजेशन मात्र 57 परसेंट है - फिर कैसे किसान इसमें योगदान कर पाएगा?

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि फसल बीमा के लिए एक कमेटी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में बनी थी, जिस की रिपोर्ट आ चुकी है। यदि सही मायने में उस रिपोर्ट पर अमल किया जाए तो हम सभी को किसानों के बारे में जो चिन्ता है, वह काफी हद तक दूर हो जाएगी ।

16.40 hrs. (Shrimati Sumitra Mahajan in the Chair)

अभी तहसील की क्राप कटिंग क्षेत्र का सेंसस आ रहा है। आज सेंसस आने के बाद, जब हम सैटेलाइट से सब कुछ कर सकते हैं तो क्राप कटिंग तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब क्राप कटिंग की जरूरत क्या है? जब हम फलों का इंश्योरेंस करते हैं तो उसके लिए वैल्यूएटर आता है, उसी तरह फसलों में वैल्यूएटर के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं? इससे काफी लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। सभी ने कहा है और सही कहा है कि जब दो या तीन साल के बाद उन्हें फसल बीमा का पैसा मिलता है तब तक वह मरीज हो जाता है। कृाि आयोग ने कहा है कि पारिवारिक बीमा योजना होनी चाहिए, तभी बीमारी में कुछ लाभ होगा और उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। वा 2004-05 के बजट में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि हम नयी फसल बीमा की बात सोच रहे हैं। वा 2005-06 में कहा गया कि अगले साल हम नई फसल बीमा योजना ला रहे हैं। इस वा यानी 2006-07 में ब्यान दिया गया कि हम नेशनल इंश्योरेंस क्रॉप स्कीम स्कीम चला रहे हैं, आर्थिक नीति में सुधार कर रहे हैं, आयात-निर्यात नीति में सुधार कर रहे हैं लेकिन कृाि या किसानों की रक्षा करने के लिए कुछ सुधार नहीं कर रहे हैं। आज कृाि वस्तुओं का आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है।

अब किसानों की आत्महत्या की बात आती है - जब उपज नहीं होगी तो किसान क्या करेगा? ट्रेड फार्मर को काम्प्रिहेन्सिव क्रॉप इंश्योरेंस कवरिंग द रिस्क की चिंता होती है, जब तक यह नहीं करेंगे, चाहे हम कितनी ही बातें कहें, उनका कोई मतलब नहीं होगा। सब लोग अपनी इच्छाशक्ति से बातें कहते हैं लेकिन अमल कब होगा? सब लोग कहते हैं कि किसानों ने काफी तरक्की की है। किसानों की तरक्की तो हो रही है, पता नहीं कितनी तरक्की हुई है, लेकिन भी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जब किसान उपज करता है, तब आप बड़े गर्व से सैल्यूट करते हैं। हमें सैल्यूट की जरूरत नहीं है, आप हमें बताएं कि उनकी हालत क्या है? आप उनकी हालत के बारे में नहीं बताते हैं। आप उनको सैल्यूट किसलिए करते हैं? वह आत्महत्या करता है, क्या तब उन्हें सैल्यूट करते हैं? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि ऐसा दुनिया के सभी देशों में है, वहां पूरा रिस्क कवर इंश्योरेंस है और इस पर काफी रिसर्च हो चुका है। यह ए.एन.डी.पी. में रिसर्च हुआ है, यू.ए.ई., इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस में रिस्क कवर क्रॉप इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए राज्य सरकार को पचास प्रतिशत पैसा देना चाहिये, यह आपकी स्कीम है, लेकिन कई राज्य दे नहीं रहे हैं और कई राज्यों में इस पर अमल नहीं हो रहा है। आज जो स्थिति हकीकत में है उसमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे किसानों में विश्वास पैदा हो। उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए, सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होगा। किसान कौन सी किताबें पढ़ते हैं? मैं प्रिंट मीडिया के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन किसानों के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया जैसे रेडियो, टेलीविजन है, इसमें प्रचार किया जाए कि इससे किसान को लाभ होगा। कई लोगों का फसल बीमा किया लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला क्योंकि कई फसलें उसमें शामिल नहीं है। अभी मेरे जिले में और मेरे गांव के आसपास के जिले में ऐसे 450 गांव हैं, जहां क्रॉप कटिंग पन्द्रह साल से पचास पैसे से कम है। उनकी उपज ही नहीं है तो वह क्या देगा? पन्द्रह साल में से सात साल में क्रॉप कटिंग जीरो है। उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस का सौ, डेढ़ सौ या ढाई सौ रुपया मिलता है, उनकी फसल खरीफ है इसलिए मिलता है। रबी फसल में पन्द्रह या सोलह महीने के बाद मिलता है - यह अजीब बात है। जब खरीफ फसल खराब हो जाती है तब इसके बदले रबी फसल तक मिलना चाहिए ताकि किसान उसे रबी में इस्तेमाल करे और उसे मनी लैंडर या साहूकार के पास जाने की जरूरत न पड़े।

जहां तक सोशल सिक्यारिटी की बात है। क्रॉप इंश्योरेंस के साथ साथ किसान और खेत मजदूर को सोशल सिक्युरिटी देना भी जरूरी है। क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने ठीक कहा, लेकिन जब किसान या खेत मजदूर बीमार होते हैं, मैं उनके स्वास्थ्य की बात नहीं कहूंगा, लेकिन आप लैंडलैस लोगों के लिए काफी मकान बना रहे हैं। किसान या खेत मजदूर को घर देने से बीमारी घट जाती है और उनके वर्किंग डेज बढ़ जाते हैं। वर्किंग डेज बढ़ने के कारण उनकी फसल भी ठीक हो जाती है। वह एक ही आदमी है, He is the marketing manager, he is the procurement manager. वह खुद ही रखवाली करता है, खुद ही बोता है और खुद ही काटता है, लेकिन वह अनस्किल्ड लेबर है। यदि इस हिसाब से आप सोचें तो किसान के बगैर हम किसी पर निर्भर नहीं कर सकते। सब लोग किसानों के बड़े-बड़े गीत गाते हैं। गीत गाना आसान है, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला है। पचास साल की आजादी के बाद भी महाराट्र में बहुत सी जगहों पर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। एक भी राज्य इससे अछूता नहीं है, सभी राज्यों में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं।

सभापति महोदया, इसी तरह से फसल के दामों की बात है। इंश्योरेन्स में भारत सरकार खुद पैसा दे दे, इसमें राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बैंक ऋण दे दें। लेकिन बैंक कहां से देंगे, सभी कोऑपरेटिव बैंक घाटे में हैं। कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति आप सबको पता है। उनके रिवाइटेलाइजेशन और रीकैपिटलाइजेशन की बात चल रही है। कमर्शियल बैंक्स तो उन्हें अपने दरवाजे पर भी नहीं आने देते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों के साथ कम से कम उनकी कस्टमर रिलेशनशिप तो है। लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं होता कि कमर्शियल बैंकों के रूल में फसल बीमा का अंतरभाव क्या है। रूल वालों को भी पर्ची देनी चाहिए कि इसमें क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं। हम बिजली की मोटर खरीदते हैं, बस उसी समय उसका इंश्योरेन्स काट लेते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है और खराब होने पर उन्हें दोगुने पैसे देने पड़ते हैं। ये सब लोग उनका ज्यादा शोाण कर रहे हैं। चाहे फसल बीमा हो या दूसरी चीजें हों, किसान और खेत मजदूर कब शोाणमुक्त होगा। रिस्क इंश्योरेन्स उसका एक आधार है, उसका एक उत्तर है। बाकी अमरीका के किसानों को कितने परसैन्ट सब्सिडी मिलती है, इंग्लैंड के किसानों को कितने परसैन्ट मिलती है, अखबारों में क्या आता है कि सारा बजट किसानों के लिए है, सब कुछ किसान के लिए है, लेकिन किसान को क्या दिया गया है। बिजली उसे कितने घंटे मिलती है, पानी की नहर की क्या स्थिति है, रेनफैड एरिया की क्या अवस्था है, राजस्थान डैजर्ट एरिया क्या कहता है, ड्रॉउट प्रोन एरिया क्या कहता है। इंदिरा जी ने उस समय ड्रॉउट प्रोन एरिया प्रोजैक्ट शुरू किया था और हर साल दो करोड़ रुपये जिले में देने की घोाणा की थी, लेकिन उनमें कितना सुधार हुआ। यह बड़ी जटिल समस्या है। इसे हमें थोड़ा इंटिग्रेटिड अप्रोच और एकात्मता के साथ देखना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा, जैसे एक फैमिली डाक्टर होता है, वह देखता है कि मरीज को क्या हो रहा है, लेकिन किसान का कोई फैमिली डाक्टर नहीं है। किसान के लिए जैसे कान, नाक, सिर, हाथ, पांव और पेट का अलग-अलग डाक्टर हैं वैसे किसान व योजना की स्थिति के बारे में हमें पता ही नहीं है कि किसे क्या हो रहा है। जब आपके सीनियर मंत्री थे, तो मैंने उनसे भी यही निवेदन किया था कि किसान पर हमारा पूरा आधार है। आप कहते हैं कि यदि हमें दस परसैन्ट ग्रोथ करनी है तो चार परसैन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ होनी चाहिए। अभी 8.9 परसैन्ट ग्रोथ हुई है और आप 12 परसैन्ट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अभी 2.7 परसैन्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई है। आप चाहते हैं कि चार परसैन्ट होने के बाद हम 12 परसैन्ट तक भी जा सकते हैं, लेकिन वह तभी सम्भव है जब किसान खेती करे, बुआई करे, उसकी उपज अच्छी निकले और उपज के बाद उसे मार्केट मिले। अभी आपकी स्कीम क्या है - आप इंश्योरेन्स कवर भी दीजिए। भारत सरकार की मार्केटिंग इंटरवैन्शन स्कीम है। आप सभी राज्य सरकारों को डंडा लगाइए। आज किसान प्याज सौ रुपये क्विंटल बेच रहे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसका इंश्योरेन्स कहां है? मार्केटिंग इंटरवैन्शन स्कीम भी इंश्योरेन्स में कवर हो जाना चाहिये, तभी हम कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं।

आज किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, चूंकि उनके ऊपर मनीलैन्डर का पैसा है। लेकिन जब पिछले पांच-पांच, दस-दस सालों से उनकी उपज नहीं हुई है तो वह पैसा कहां से देगा। इसलिए इंश्योरेन्स के बाद आपको थोड़ा वेवर के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी सभी बैंकों का एन.पी.ए. एक लाख तैतीस हजार करोड़ रुपये है। उनमें किसानों का कितना है। मैं समझता हूं कि दस परसैन्ट भी नहीं है। लेकिन बड़े औद्योगिक घरानों को आप अनइम्पलॉयमैन्ट के नाम पर वेवर दे रहे हैं। सूद में भी देते हैं, लेकिन जब किसान के वेविंग ऑफ लोन की बात आती है तो कहा जाता है कि उसकी आदत बन जाएगी, वह पैसा डुबा देगा और ऋण नही देगा। किसान आत्महत्या अपनी इज्जत बचाने के लिए करता है, इसलिए कि कोई मेरा अपमान करेगा, किसी दूसरी वजह से वह नहीं करता है। अगर किसान आत्महत्या करता है और हम फसल बीमा योजना को भी ठीक नहीं करेंगे तो जो किसान के जवान लड़के हैं, वे कह रहे हैं कि कौन मिट्टी में मरेगा। If they lose confidence in farming, then what will happen to the country? How much of migration will be there? And if they come to slums, then crime will increase. The intensity of crime will definitely increase.

इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन पानी की बात बहुत ही जरूरी है। रेन-फैड ऑथोरिटी की बात चल रही थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को इस बारे में बात की है। मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि इस पर काम भी शुरु हो गया है। जब रेन-फैड अथौर्टी बन जाती है तो काम ईजी हो जाता है। मार्जिनल किसान को हम क्या दे सकते हैं, रेन-फैड किसान को हम क्या दे सकते हैं - उसके लिए अलग से पैकेज बनाकर उसके इंश्योरेंस वगैरह के लिए हम क्या कर सकते है। पंजाब की तरक्की के लिए यह काफी काम किया है जबकि आज उनकी उपज घट रही है। विदेशी गेहूं का दाम कितना होगा? अभी हमने 50 रुपये इंसेंटिव बोनस के रूप में देने की कोशिश की जबकि उनकी उपज घट रही है - डिक्लाइन इन प्रोडक्शन । उनकी उपज जितनी पहले थी, उतना ही हम फसल बीमा करते थे। अगर बीस बोरी लगेगी, चाहे पच्चीस बोरी लगे, यदि पन्द्रह बोरी लगेगी तो पांच बोरी का पैसा हम देंगे। हम उसे मानते ही नहीं हैं। हम तो सबसे खराब साल लेते हैं और उसी से एवरेज निकालते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि कम से कम उसमें सुधार करो। अच्छा साल ले लो। दस साल-पांच साल में से तीन अच्छे साल लेकर उसमें से एवरेज निकालो। जब नयी स्कीम बन रही है, तो पांच साल में से तीन अच्छे साल ले लो और उसके आधार पर एवरेज निकालो और फसल बीमा योजना को ठीक से क्रियान्वित करो। दरअसल उनकी सोच भी ऐसी होती है कि किसान को देने के लिए सरकार के पास कुछ पैसा नहीं होता है।

सरकारी कर्मचारियों का डी.ए. ऑटोमैटिकली तीन प्रतिशत, पांच प्रतिशत बढ़ता है तब सरकार की जेब में पैसा आ जाता है क्योंकि सरकार उनके साथ टकराव नहीं कर सकती, वे संगठित हैं जबकि किसान असंगठित हैं और वह सरकार के साथ टकराव नहीं करना चाहता। लेकिन स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है। किसान जब टकराव की स्थिति में आ जाएगा, तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि फसल बीमा में आप ज्यादा दिन नहीं रोकिए। जहां-जहां जाना है, वहां वहां जाए और इसके साथ सहकारी आंदोलन का जो उपभोक्ता है, उसके बारे में भी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी।

जो कोआपरेटिव बैंक है, फसल बीमा की एजेंसी आप उनको दे दो। जो विलेज सोसाइटीज हैं, उन्हे ही फसल बीमा की एजेंसी दे दो। इससे क्या होगा कि जो विलेज सोसाइटी है या डिस्ट्रिक्ट बैंक एजेंसी होगी, वह कहेगी कि ये हमारे किसान हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी खुद ही सब कुछ करती है। इसलिए प्राइवेट इवैलुएटर लगाओ। दूसरी बात यह कि पूरे परिवार का बीमा इंश्योरेंस करो। मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम में जो क्राइसेस आते हैं, उनका भी इंश्योरेंस कवर करो। नेचुरल कैलेमिटी के लिए तो करना जरुरी है। समझ लो कि हमने धान बो दिया, लेकिन बारिश नहीं आ रही है। हमने जमीन में पूरी मेहनत कर दी, बारिश के बाद बुबाई करनी है, लेकिन बारिश ही नहीं आ रही है, तो वह तो बेचारा खाली हो गया। उसे फिर कौन पैसा देगा ? प्री-सोइंग, ऑफ्टर सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग - ये इतने स्टेजेज फसल में होने चाहिए।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सोचे और जल्दी ही भारत में एक दिन ऐसा आ जाए जब कोई किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर न हो। वह दिन हमारे इतिहास में स्वर्णिम दिन होगा। इसलिए मैं इस फसल बीमा बिल का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उत्तर देते समय वह कम से कम All these points will be considered. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, श्री इकबाल अहमद सरडगी ने सदन में जो फसल बीमा योजना से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका पुरजोर और प्रबल समर्थन करता हूं।

जैसा एक किसान के बारे में कहा जाता है - 'शीत कांपता जिसके भय से आतप ठंडा पड़ जाता, लिए फावड़ा वह आता, बरसा से वह क्या घबराता' वह सर्दी,गर्मी और बरसात सब कुछ सहन करके ज़मीन की कोख से अन्न पैदा करता है। वह हमारे लिये अन्नदाता कहलाता है। किसान के बारे में जितना चिन्तन होना चाहिये, वह हमारी इस सबसे बड़ी पंचायत के अंदर नहीं हो पा रहा है। जब हमें समाचार-पत्रों के पन्नों में पढ़ने को मिलता है कि किसान आत्महत्यायें करने के लिये मजबूर हो रहे हैं, चाहे आन्ध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो या अन्यान्य राज्य हों, जब भी बाढ़ या अतिवृटि होती है तो किसान की आंखों के सामने उसकी लहलहाती फसल बर्बाद हो जाती है। एक ही क्षण के अंदर भंयकर बरसात या मूसलाधार वार्ा या बाढ़ के कारण उसके सारे सपने मिट्टी में मिल जाते हैं और वह बर्बाद हो जाता है। हिन्दुस्तान के बजट के बारे में कहा जाता है Indian Budget is the gambling of Monsoon. मानसून एक जुआ है। अच्छा मौनसून, अच्छी वार्ा तो अच्छी खेती, लेकिन अगर कम वार्ा या खराब मानसून तो खेती नट हो जाती है। अगर अतिवृटि है या अनावृटि है या वह थोड़े थोड़े गैप के बाद हो, तो उससे किसानों की फसलों पर प्रहार होता रहता है।

हमने देखा है कि राजस्थान के गांवों में पिछले कई सालों से अकाल पड़ रहा है कुओं में पानी नहीं है। अगर कहीं सिंचाई की व्यवस्था है और किसान अगर फसल बोने का प्रयास करता है तो वहां ऐसी नीलगाय पैदा हो गई हैं, जो फसलों को नट कर देती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को इस समस्या का विशे रूप से सामना करना पड़ रहा है। 1980 में जब वन्य जीव एक्ट पारित हुआ था, उस समय विशे प्रकार का हिरण, जिसकी शक्ल गाय से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन उसकी आकृति और प्रकृति अलग है, उसका रहन-सहन अलग है, उसे नीलगाय कहा गया और उसे उस श्रेणी में शामिल कर दिया गया। उनकी संख्या आज बढ़ती चली जा रही है। आज वनों की संख्या घटती जा रही है और पेड़ कम हो गये हैं। इस कारण वे वनों को छोड़कर किसानों की थोड़ी-बची फसलों को बर्बाद करने के लिये पहुंच जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को फसल बीमा योजना का सहारा दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह योजना किसानों लिये वरदान सिद्ध होगी।

सभापति महोदय, मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा गठित तत्कालीन एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने किसानों के लिये फसलों के बीमे की योजना की ओर ध्यान दिया। एक तरफ सरकारी कर्मचारी संगठित हैं, मजदूर वर्ग संगठित है या अन्यान्य वर्ग भी संगठित हैं। अगर किसी दुकानदार का नुकसान हो जाये तो उसे बीमा का पैसा मिल जाता है। इसी प्रकार जिस फैक्टरी का थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, उसे बीमे के जरिये सारी राशि मिल जाती है। अगर किसी ने ट्रक खरीदा, वह रास्ते में उलट गया या जल गया तो उसे भी दो-तीन दिन के अंदर क्लेम की पूरी की पूरी राशि मिल जाती है। दूसरी तरफ बेचारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता कहलाता है, अगर उसकी पूरी की पूरी खेती नट हो जाती है तो उसके लिये बीमा नहीं। एन.डी.ए. सरकार ने किसानों के लिये किसान बीमा योजना लागू की थी। हालांकि यह राज्यों का विाय है लेकिन कुछ आधे-अधूरे मन से इसे लागू करते हैं। इस तरह से 'आधा तीतर आधा बटेर' वाली स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार बीमा तो करेगी

लेकिन उसका निस्तारण तहसील स्तर पर होगा। पहले समय. में सारे देश में र्वा होती थी और एक साथ मौनसून आता था लेकिन आज स्थिति यह है कि एक गांव में र्वा अच्छी हुई लेकिन 2-4 मील पर बसे गांव में कहीं सूखा और कहीं गीला। इस प्रकार की परिस्थिति से किसान बहुत ही परेशान है। ऐसी स्थिति में, पहले तहसील स्तर पर सर्वेक्षण होगा। कब उसकी गिरदावरी होगी, फिर उसका मूल्यांकन किया जायेगा। एक अध्ययन दल जाकर उसका अध्ययन करेगा और वह कब रिपोर्ट देगा? जब तहसील स्तर पर सर्वेक्षण होगा तो मालूम होगा कि एक गांव में र्वा ही नहीं हुई जबकि तीन-चार पंचायतों में नुकसान हुआ है। अतिवृटि या बाढ़ आई या प्राकृतिक प्रकोप हुआ तो उसमें नुकसान होता है और फिर कई जगह खंडित र्वा होती है। ऐसा किसी क्षेत्र विशे में हो जाता है।

17.00 hrs.

ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को ईकाई मानकर फसल बीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। अभी तहसील स्तर पर या ब्लाक स्तर पर लंबा चौड़ा क्षेत्र ले लिया है। परिणामस्वरूप किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। कई किसान बड़े गरीब होते हैं, छोटी जोत वाले होते हैं। बड़ी जोत वाले समृद्ध किसान और कुलक किसान सरकारी सुविधाओं का फायदा उठा लेते हैं लेकिन जो गरीब काश्तकार होते हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करके अपना गुज़ारा करते हैं, उनको फसल बीमा का प्रीमियम देने में भी कठिनाई होती है या और किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए उसके प्रीमियम की राशि इतनी हो कि वह सरलता से जमा करा सके। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन दोनों की जिम्मेदारी है कि किसान को बीमा प्राप्त हो सके और उनका प्रीमियम सही समय पर जमा हो सके। जब फसल का नुकसान हो तो सरकार तुरंत उसका भुगतान करने की व्यवस्था करे। हमारे राजस्थान में एक और समस्या है। बाढ़, अकाल, दुर्भिक्ष का तो सबको ज्ञान है, लेकिन कभी कभी पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों की तरफ से टिड्डी दल हमारे यहां आ जाते हैं। वे झुंड के झुंड आते हैं और जहां बैठते हैं, वहां सारी फसल चौपट कर देते हैं, वनस्पति चौपट कर देते हैं, पत्ते भी खा जाते हैं और फसल की डंठल खड़ी रह जाती है। किसान इससे बहुत दुखी है। हालांकि हैलीकॉप्टर से दवाइयां छिड़कने और उनको उड़ाने का प्रयास किया जाता है लेकिन फिर भी वे फसल का बहुत नुकसान करते हैं।

सभापति महोदया, किसान जिस दिन से फसल बोता है, तब से फसल पर कभी जंगली जानवरों का हमला होता है, कभी नीलगायें आ जाती हैं, कभी प्राकृतिक प्रकोप से फसल चौपट हो जाती है, कभी कमज़ोर बाड़ होने के कारण आवारा पशु अंदर घुसकर फसल नट कर देते हैं। किसानों को नुकसान ही नुकसान होता है। कई बार खलिहानों में छोटी सी चिंगारी से आग लग जाती है। गेहूं काटकर किसान खेत के बीच में खड़ा कर देता है कि सूख जाएगा लेकिन उसमें भी कभी आग लग जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इसको केवल निजी विधेयक न मानें कि माननीय इकबाल साहब ने पेश कर दिया है और मंत्री जी जवाब दे देंगे कि बहुत अच्छा है और सरकार इस पर विचार करेगी, इसलिए माननीय सदस्य इसे वापस ले लें। सरकार ने फसल बीमा किया है लेकिन आधे अधूरे मन से किया है। मैं समझता हूं कि सदन में बैठे हुए सभी मित्रगण गांवों की जनता के सहारे जीतकर आते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृि, जिस पर देश के 80 प्रतिशत लोग निर्भर हैं, यदि हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो वह ठीक नहीं है। आज हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा लगाते हैं लेकिन किसान की जय कैसे होगी। मैं एक पौराणिक कथा की ओर आपका ध्यान आकृट कराना चाहता हूं।

महाभारत में जब धर्मयुद्ध हो रहा था तो सूर्यास्त के बाद भगवान श्रीकृण पांडवों को कहते थे कि जाओ, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करो। कोई भीम पितामह के पास जाता था, कोई द्रोणाचार्य के पास जाता था। जाते समय भीम पितामह उनको कहते थे - जय हो। एक दिन श्रीकृण ने कहा कि आज यदि वह जय हो कहें तो उनसे पूछना कि हमारी जय कैसे होगी, जब दस दिन से भीम पितामह हमारी सेना का नाश कर रहे हैं और भीम पितामह का प्राणांत कैसे होगा। जब युधिठिर भीम पितामह के पास गए और भीम पितामह ने कहा कि - जय हो, तो युधिठिर ने कहा - महाराज, हमारी जय कैसे होगी, दस दिन से आप कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। तब भीम पितामह ने कहा कि उनको कोई मार नहीं सकता क्योंकि उनको मृत्युंजयी होने का वरदान मिला हुआ है लेकिन अगर उनके सामने कोई शिखंडी आ जाए तो उनके ऊपर वे हथियार नहीं चलाएंगे और उस समय कोई उनको घायल करना चाहे तो वह कर सकता है। किसानों की जय तो आप और हम सब बोलते हैं, उनके वोटों से चुनकर भी आते हैं लेकिन किसान की जय सच्चे अर्थों में तब होगी जब उसको फसल का

सही बीमा मिलेगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर, फसल बीमा का भुगतान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहां बाड़मेर, जैसलमैर और राजस्थान नहर जहां पर है, वहां किसानों की लाखों एकड़ की फसल पर ओलावृटि हो गई, दुर्भिक्ष पड़ गया, फसल सूख गई, उनको तो बीमा मिल जाता है, लेकिन छोटी जोत वाले किसानों को कुछ नहीं मिलता है।

इसलिए उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, माननीय श्री इकबाल साहब ने बहुत सुन्दर कहा - The Central Government shall formulate a scheme providing for insurance for crops and excess of crops throughout the country. सारे देश के अंदर एक जैसा लाभ हो। केरल में नारियल की खेती होती है, लेकिन आंधी, तूफान और सूनामी आई तो सारे नारियल और नारियल के पेड़ गिर जाते हैं और लगे हुए नारियल भी टूट जाते हैं। कहीं सूखे मेवों, काजू, अखरोट या इलायची हो, की कोई खेती हो,`उन सब का भी नुकसान होता है। चाहे कोई भी खेती हो और कैसी भी हो, उन सब के लिए बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए। किसान के पास जब ज्यादा फसल की पैदावार होती है तो कभी सरकार टाइम पर घोणा कर देती है कि इसका मूल्य इतना है, इतने में यह खरीदी जाएगी।

राजस्थान में सरसों ज्यादा हुई, लेकिन जब तक माननीय कृाि मंत्री जी कहेंगे नहीं, सांसद नहीं मिलेंगे, मुख्य मंत्री जी नहीं कहेंगे तब तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पहले की खरीदी हुई फसल गोदामों में पड़ी हुई है, इसलिए कोई गोदाम खाली नहीं है। बाद में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के अनुरोध पर सारी व्यवस्था करवाई, लेकिन फिर भी पैसा टाइम पर नहीं मिल पाता। उन्हें कई-कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में फसल का भी नुकसान होता है। इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। The premium in respect of insurance shall be borne by the Central Government and State Government . इसका प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। इसमें जो चार-पांच धाराएं दी हैं, मैं समझता हूं कि उनका भी सरकार फसल बीमा का कानून व्यापक बनाते समय, व्यावहारिक बनाते समय सोचे ताकि सच्चे अर्थों में किसानों को लाभ पहुंच सके। इसके लिए सब माननीय सदस्यों ने यहां बड़े सुंदर प्वाइंट्स दिए हैं, उन्हें भी मद्दे नजर रखा जाए ताकि सच्चे अर्थों में हम जय-जवान और जय किसान के नारे को सार्थक कर सकें। हमारे जो अन्नदाता हैं, जिस किसान ने देश के अंदर हरित क्रांति पैदा की, भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया और जिसने श्वेत क्रांति भी की, उसे अगर फसल की बीमा का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर हमारा किसान के बारे में बोलना और उनके लिए कुछ कहना व्यर्थ चला जाएगा।

मैडम, अंत में मैं पुन: आपके माध्यम से भारत सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि जिस एनडीए की सरकार ने फसल बीमा के कानून को लागू करने के लिए इनिशिएट लिया था और सारे देश में कहा था कि कृाि राज्यों का विाय होने के कारण कई राज्यों में लागू हुआ और कई जगह यह लागू नहीं हुआ, परिणामस्वरूप आधा तीतर, आधा बटेर वाली स्थिति हो गई, वह स्थिति दूर हो। चाहे बाढ़, अकाल, नील गायों से या टिड्डी दल से फसलों का नुकसान हो या दूसरे जो कीड़े फसलों को बर्बाद कर देते हैं, उन सबसे होने वाले नुकसान की भरपाई किसान को हो सके। किसान सुखी होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इसलिए आइए आप और हम, सब मिल करके किसानों की भा वनाओं का सम्मान करते हुए सही अर्थों में फसल बीमा क्रियान्वित करें। जैसे ट्रक और दुकान वालों को और सब को लाभ पहुंचता है, वैसे ही किसान को तुरंत पेमंट हो ताकि उसे भी लाभ मिल सके और वे आत्महत्याओं से बच सकें।

मैडम, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : मैडम, मैं श्री इकबाल अहमद सरडगी जी के फसलों का बीमा संबंधित प्रस्ताव का अपनी ओर से और समस्त देश के किसानों की ओर से ह्रदय से स्वागत करता हूं।

भारत कृाि प्रधान देश है और यहां लगभग 80 फीसदी लोग कृाि पर निर्भर रहते हैं - चाहे वह किसान हो या मजदूर हो। मगर विडम्बना यह है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में किसान दिन-प्रति-दिन कर्ज में डूबता जा रहा है।

सभापति महोदया, चाहे बड़ा किसान हो, चाहे छोटा किसान हो या उससे संबंधित मजदूर हों, गांवों में रहने वाले सभी लोग, जो किसान से संबंध रखते हैं, खेती से संबंध रखते हैं, आज उनकी आर्थिक स्थिति निरन्तर गिरती जा रही है।

महोदया, मुझे याद है, जब मैं पहले सांसद चुनकर आया था, उस समय माननीय स्व. राजीव गांधी जी देश के प्रधान मंत्री थे। तब खेती का कम्पलसरी इंश्योरेंस कराने का प्रस्ताव इस सदन में लाया गया था। मगर खेद का विाय है कि इतने साल के अन्तराल के बाद भी, उसके ठीक प्र ाकार से लागू नहीं होने के कारण, आज फिर इस विाय पर इस सदन में चर्चा की जा रही है। किसान का उत्पादन, चाहे वह खेती हो, चाहे फूलों का उत्पादन हो, उससे संबंधित सब्जी का उत्पादन हो या फलों का उत्पादन हो, सभी फसलों की स्थिति ठीक नहीं है। चाहे वह उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत या भारत के किसी भी प्रान्त की हम बात करें, पूरे देश में किसान की पैदावार के उचित दाम उसे नहीं मिलते हैं। मैं किसान की पैदावार के ि वस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उसकी संपूर्ण रूप से सुरक्षा होनी चाहिए और यदि प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल नट होती है, तो उसे बीमे से पूरी राशि मिलनी चाहिए।

महोदया, अभी बजट में जो प्रावधान रखा गया है, उसके अनुसार सिर्फ उन किसानों को बीमे से संबंधित संरक्षण मिलेगा, जो किसान लोन लेंगे। जो छोटे किसान हैं, जो छोटी जोत में अपना जीवन-यापन करने के लिए खेती करते हैं, जो कर्जा नहीं लेते हैं, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी आपदा हो, ओलावृटि हो, अधिक वाा से नुकसान हो, बाढ़ से नुकसान हो, सिंचाई के साधनों के कारण नुकसान हो, कैनाल टूटने से फसल नट होती हो, आग लगने, पाला पड़ने या किसान की फसल किसी भी तरह नट होती हो, लेकिन उसे बीमे के अन्तर्गत किसी भी प्र ाकार की सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए बीमे का प्रावधान ही नहीं रखा गया है।

महोदया, मेरा निवेदन है कि छोटे किसान की फसल का भी, फिर चाहे उसने लोन लिया हो या न लिया हो, यदि प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो उसका बीमा होना चाहिए और बीमे से सहायता मिलनी चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि किसान ने फसल बोई, उसकी अच्छी फसल होती है, लेकिन अधिक र्वाा होने या अन्य प्राकृतिक आपदा से फसल नट होती है, तो उसे बीमे से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। जिन किसानों ने लोन लिया होता है, उनकी फसल नट होने पर, उन्हें ही बीमे से सहायता मिलती है और उसमें भी किसान की ग्रामीण इकाई कवर नहीं होती है। अगर ओलावृटि से फसल नट होती है, तो बीमे वाले सिर्फ ग्राम को इकाई नहीं मानते। वे कहते हैं कि यदि पूरी तहसील में, पूरे जिले में या पूरी कमिश्नरी में ओलावृटि होती है और फसल नट होती है, तभी उसे बीमे से सहायता मिलेगी। यह बड़ी अजीब बात है।

महोदया, जो लोग किसानों से संबंध रखते हैं, जो माननीय सांसद यहां बैठे हैं, जो लोग गांवों से चुनकर आते हैं, वे अधिकतर किसानों से संबंध रखते हैं, वे इस बात को जानते होंगे कि यदि एक खेत में ओले पड़ते हैं, तो दूसरे खेत में ओले नहीं पड़ते। चूंकि पूरी तहसील, जिले या कमिश्नरी में ओले नहीं पड़े, इसलिए उसे बीमे से सहायता नहीं मिलेगी। बीमे की वर्तमान शर्तों के अनुसार यदि पूरी तहसील, जिला या कमिश्नरी में ओले से नुकसान होगा, तभी किसान को बीमे से सहायता मिलेगी, अन्यथा नहीं। जिस किसान ने अपना सर्वस्व लगाकर अपनी खेती बोई, उस पर उसका और उसके संपूर्ण परिवार का जीवन आधारित है, लेकिन उसकी फसल नट होने पर उसे कोई सहायता नहीं मिलती है। इसी प्रकार यदि आग लग जाती है, उससे उसकी खेती नट हो जाती है, उसका मकान नट हो जाता है, उसमें रहने वाले लोग घायल हो जाते हैं, पशु मर जाते हैं, उसकी सारी कमाई, रुपया, पैसा नट हो जाता है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है।

महोदया, देश के आजाद होने के 58 र्वा बाद भी, आज यदि किसान की खेती आग लगने से नट हो जाती है, तो उसे सहायता देने की जिम्मेदारी को न केन्द्र सरकार और न राज्य सरकार, कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। अन्य प्रदेशों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं अपने प्रदेश के बारे में बता सकता हूं कि यदि किसान की खेती, मकान, पशु आदि आग लगने से नट हो जाते हैं, तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उसे प्रशासन की ओर से केवल 500 रुपए, मकान बनाने के लिए सहायता के रूप में मिलते हैं। 1500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन फसल का बीमा नहीं होता है। वे दर-दर भटकते रहते हैं। जिस आदमी के फसल, जानवर और मकान नट हो जाते हैं, उसके लिए पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। किसान क्षण भर में जमीन पर आ जाता है। उसकी सहायता करने के लिए कोई मौजूद नहीं होता है।

किसान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो खाद, बीज, सिंचाई के साधन बिजली के साधन, डीजल इत्यादि किसान के लिए जरूरी हैं। बिजली नहीं आती है, इसलिए डीजल से पम्प चलाना पड़ता है, जिससे सिंचाई होती है। फिर कीमतों में वृद्धि हुई है, लेकिन किसान की फसल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई। उसकी फसल का नुकसान होने से उसे काफी वेदना होती है। बाढ़ आने पर करोड़ों अरबों रुपयों की हानि होती है। इससे लाखों मकान और परिवार उजड़ जाते हैं, फसलें नट हो जाती हैं। विडम्बना यह है कि मंत्रालय तो है लेकिन आज तक किसी नदी की सफाई की व्यवस्था किसी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। थोड़ी सी बाढ़ आने पर लाखों-करोड़ों एकड़ जमीन नट हो जाती है, चाहे वह किसी भी प्रांत में आए, लेकिन वहां नदी की सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रावधान यह है कि बाढ़ आने के बाद तो व्यवस्था की जाएगी, सूखा पड़ने के बाद बजट का एलोटमेंट होगा, लेकिन पहले से बचाव की व्यवस्था सरकार नहीं करती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो छोटे किसान हैं या गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए भी इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए भी हैल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब लोग जब बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, चाहे मजदूर या छोटे किसान हों, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं होता है। वे बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं। आज देश में हम सुनते हैं, चाहे देश के किसी भी प्रांत में हो भुखमरी के कगार पर खड़ा किसान आत्मदाह कर रहा है। पूरे भारत र्वा में करीब 80 फीसदी जनसंख्या कृि पर निर्भर करती है, लेकिन वही किसान गरीबी के कारण, कर्ज के कारण, अपनी इज्जत बचाने के लिए यदि आत्महत्या करता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती है। मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी आने वाले बजट में ऐसे प्रावधान बनाएं जिससे हमारे किसान, गरीब व्यक्ति को भारत के संविधान के अंतर्गत यह अधिकार हो कि चाहे वह गरीबी से मर रहा हो, भूखमरी से मर रहा हो, फसल नट होने की वजह से मर रहा हो, आग लगने से मर रहा हो तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो। यह जिम्मेदारी प्रांत सरकार पर न डाली जाए। ऐसा प्रावधान किया जाए, जिससे प्रांत को पर्याप्त मात्रा में पैसा दिया जाए। प्रान्तीय सरकार देने की स्थिति में हो या न हो, लेकिन केन्द्र सरकार को पैसा देना चाहिए। किसान और गरीब को भारत सरकार का पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए यह प्रावधान होना चाहिए। हमारे बजट में उसको पूरी तरह से संरक्षण मिलना चाहिए। उसको खेती, स्वास्थ्य तथा उसके बच्चों को शिक्षा का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।

यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, जब इन्होंने सदन में भााण दिया था तो इनके भााण का सदन ने मेजें थपथपाकर अभिवादन किया था।...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदया, मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं कि हाल ही में हमने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि अगर किसी का घर जल जाये तो उसका तुरन्त इन्दिरा आवास योजना से घर बना दिया जाये और बाद में पैसा केन्द्र सरकार से ले लिया जाये। ...(व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : यह प्रावधान बिहार के लिए है या और जगह के लिए भी है?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सारे देश के लिए मैं कहता हूं, बिहार के लिए कोई कानून बनता है क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से देहात के लिए, रूरल एरिया के लिए, गांव के लिए यह कानून है कि जिस किसी का भी आग लगने से घर जल जाये, सारी सम्पत्ति बर्बाद हो जाये, रिलीफ में उनको कुछ 200, 500 रुपये मिल जाते हैं, जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे, बरतन के लिए, कपड़े के लिए, एक सप्ताह के अनाज के लिए भी रिलीफ मिलती है, लेकिन आई.ए.वाई. जो है, जो इन्दिरा आवास योजना है, उसमें हमने कहा है कि उसे तुरन्त घर बनवा दिया जाये और पैसा केन्द्र सरकार से ले लिया जाये। ...(व्यवधान)

श्री संतोा गंगवार (बरेली) : ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, यह उन सब के लिए है या इसमें कोई भेद करेंगे?...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें जिलाधिकारी को अधिकार दिया है। हम बता देते हैं, आप सुन लीजिए। बड़ा अच्छा सवाल है, सुन लीजिए, जानकारी ले लीजिए। जैसे इन्दिरा आवास योजना में नियम है कि ग्राम सभा होगी, किनको घर मिलना है, बैनीफिशियरीज़ की सूची ग्राम सभा के हाथ में है। हमने जिलाधिकारी को, कलैक्टर को यह अधिकार दिया है कि यदि कलैक्टर की जानकारी में बातें आयें कि किसी गरीब आदमी का घर जल गया, बर्बाद हो गया तो उस हालत में तुरन्त कार्रवाई की जाये। हमने तो कहा है कि धुआं घर का उठ ही रहा है, उसी समय कलैक्टर वहां जाकर देखे, घर मंजूर करे और कल से ईंट गिरने लगे और उसका घर बन जाये। हर जिले में हमारा पैसा मौजूद है, उसमें से वह खर्च करके घर बना दें और बाद में उसका पैसा केन्द्र से ले लें।...(व्यवधान)

सभापति महोदया : अभी कोई क्वश्चन ऑवर नहीं है और इस पर डिस्कशन नहीं होगा।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : यह गृह मंत्रालय की बहस हो, तब पूछिये। अभी मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : आप भी किसान हैं, उनके जानवरों के रहने के लिए भी आपने इसमें कोई प्रावधान किया है क्या?...(व्यवधान)

सभापति महोदया : ये बाद में खुलासा कर देंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने जानकारी दी कि घर जल जाये, अब दालान जल जायेगा, फलां जल जायेगा, उसका नहीं, अगर घर जल जाये, तब हमने प्रावधान किया है।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा) : यह प्रावधान बी.पी.एल. के लिए भी किया है क्या?...(व्यवधान)

सभापति महोदया : हां, यह बी.पी.एल. की ही बात है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : कानून में तो बी.पी.एल. का है, लेकिन जिसका घर जल जाता है तो तात्कालिक रूप से वह अस्थाई विपन्न हो जाता है, क्योंकि सारी सम्पत्ति तो जल जाती है। हमने यह राज्य सरकार को कहा है कि राज्य सरकार अपने विवेक का प्रयोग करे। ...(व्यवधान)

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो यह प्रावधान अग्नि से पीड़ित व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में मकान में, घर में आग लगी हो और उसका घर नट हुआ हो तो उसको आपके मंत्रालय के अधीन जो पैसा जायेगा, उसमें क्षतिपूर्ति करके उसके मकान को बनाया जायेगा। जो प्रावधान आपने रखा है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि वे बैंकों को सख्त आदेश प्रदान करें, क्योंकि बैंक इन्श्योरेंस करने में कतराते हैं। किसान अगर वहां इन्श्योरेंस की बात करने जाते हैं तो वे उनको एण्टरटेन नहीं करते, चाहे वे उस योजना के अन्तर्गत आते हैं या नहीं आते। बड़ी-बड़ी फैक्टरी मालिकों का इन्श्योरेंस किया जाता है और उसमें बहुत से फ्रॉड होते हैं, जो बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, चाहे वे कागजों पर हों, उनका इन्श्योरेंस होगा, मगर जो बेसहारा किसान बैंक में जायेगा, उसकी हमारे पास बहुत सी ऐसी शिकायतें आती हैं कि उनको बैंकों में एण्टरटेन नहीं किया जाता और उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है।

कई बार हम लोगों की कांस्टीच्युएंसी में ऐसा होता है। यहां पर माननीय संसद सदस्य मौजूद हैं, सभी विाय से वाकिफ हैं। बैंक मैनेजर को बुलाकर धमकाना पड़ता है। वे उनको लोन तक देने में परेशान करते हैं, आप इंश्योरेंस की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए वित्त मंत्रालय की ओर से उनको सख्त आदेश होने चाहिए कि चाहे फसल किसी तरह की हो, चाहे बागवानी हो, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह कृाि की उत्पादित फसल हो और वह चाहे वह किसी भी हालत में हो, चाहे वह ओलावृटि से नट हुयी हो, चाहे वह अधिक जाड़े से नट हुयी हो, चाहे वह सूखे से नट हुयी हो और जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम फसल को बोते हैं और आशा करते हैं कि वाा होगी और वाा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में धान की फसल नट हो जाती है, इसलिए उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। हम कपास की फसल बोते हैं, धान बोते हैं, फल की फसल होती है या सब्जी की फसल होती है, उसमें कीड़ा लग जाता है और फसलें नट हो जाती हैं। इसलिए उसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। किसान अपनी मेहनत और पैसा लगाकर फसल पैदा करते हैं। कृाि मंत्रालय को वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ बैठकर इस विाय पर बात करनी चाहिए कि उनकी फसल के नुकसान का भुगतान केंद्र सरकार वहन करे, जिससे कि किसान इस विाम परिस्थितियों से निकल सकें।

इसके साथ-साथ एक बड़ी विडंबना होती है कि किसान ने फसल पैदा कर दी और फसल बहुत अच्छी हुयी, लेकिन जब वह बाजार में गया, तो सरकार उसकी कीमत देने के लिए अपनी ओर से मूल्य निर्धारण नहीं करती, तो उसका शोाण वहां के आढ़तियों के द्वारा किया जाता है। वहां की मंडी में जो खरीददार हैं, वे मनमाने ढंग से उनकी फसल को खरीदते हैं और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वह मजबूरी में फसल को बेचता है और फसल बिकने के बाद मूल्य निर्धारण होता है। जो बिचौलिए फसल को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं, फिर तेज भाव में, जो मूल्य निर्धारण होता है, उसके आधार पर वह फसल को बेचते हैं, जिससे किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए मैं माननीय कृाि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि समय से पहले फसल के दाम का निर्धारण अवश्य हो जाना चाहिए। इसके अलावा किसानों के लिए कृाि मंत्रालय द्वारा बीज, खाद आदि सब चीजों के दामों का मूल्य निर्धारण होना चाहिए। मैंने पहले भी बजट सैशन में कहा है। आजकल डीजल के दाम, विश्व तेल के दाम ओपेक द्वारा तय होते हैं, अभी हम टीवी में सुन रहे हैं कि डीजल और पेट्रोलियम की कीमतें फिर बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि तेल कंपनियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है।

MADAM CHAIRMAN : Please conclude now. At 5.30 p.m. we have to take up Half-an-Hour-Discussion.

कुँवर मानवेन्द्र सिंह : मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि किसानों के लिए वहां पर जिलाधिकारियों द्वारा, SDMs के द्वारा हर प्रांत में उनका कार्ड अवश्य बना लेना चाहिए। उनको डीजल कंट्रोल रेट पर देना चाहिए, जिससे मंहगाई के इस वक्त में उनको कंट्रोल रेट में सस्ता डीजल उपलब्ध हो सके। उनको कार्ड के द्वारा डीजल मिले, जिससे खेती के उत्पादन में उनको राहत मिले।

महोदया, हमारे उत्तर प्रदेश में देखें, तो देहात में 12 घंटे, 14 घंटे से लेकर 16 घंटे तक बिजली नहीं आती। फसल के समय में और बुआई के समय में अगर बिजली नहीं आएगी, तो किसानों को मजबूरी में डीजल इंजंस चलाने पड़ते हैं। डीजल की कीमत अधिक होने के कारण, उनको मंहगाई के समय में बहुत मंहगा पड़ता है और उसकी पैदाववार का या उसकी उपज का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से भारत सरकार के वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आने वाले बजट में इन मुद्दों पर बेहद ध्यान देकर अधिक से अधिक बजट का आवंटन करें, जिससे किसान इस विाम परिस्थिति से निकलकर अच्छी स्थिति में आ सके और भारत का एक भी किसान आत्मदाह न करे, ऐसी हम आशा करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय संसद सदस्य जो यह बिल लाए हैं, उनका अपनी ओर से और देश के किसानों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

MADAM CHAIRMAN : Mr. Suravaram Sudhakar Reddy will speak next time.

SHRI SURAVARAM SUDHAKAR REDDY (NALGONDA): All right.

____